फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री नारायणलाल | विपक्षी :– राज्य

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. | पत्रावली संख्या : 19/19

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 27.11.2019	

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई विशेष आपत्ति जाहिर नहीं की। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम नारूलाल पिता तेजा डांगी गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा जवाब प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से पुनः नाम सही कराने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत् 2071–74, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, विद्युत कनेक्शन बिल, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत धोलीमगरी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में नारूलाल दर्ज हैं। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने समस्त दस्तावेजात में नाम नारायणलाल पिता तेजा अंकित है। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र दिनांक 27.8.2019 का भी प्रस्तुत किया जिसमें भी ग्राम पंचायत द्वारा नारायणलाल उर्फ नारूलाल पिता तेजा एक ही व्यक्ति होकर निवासी गणेशपुरा के निवासी होना बताया है। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम नारायणलाल होना जाहिर आया हैं। राजपेरोकार द्वारा नाम संशोधन में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जात है कि मौजा गणेशपुरा पटवार हल्का धोलीमगरी की आराजी नम्बर 9, 19, 20, 23, 30 से 34, 41 से 44, 48, 49, 55, 56, 64, 67, 73, 96, 189, 190 किता 23 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 65 रकबा 2 बिस्वा आ.चा., आराजी नम्बर 6, 7, 13, 14, 18, 24, 25, 45, 46, 47, 157, 162, 163 किता 13 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 252 मी., 254 मी. किता 2 रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 186, 192, 193, 198 किता 4 रकबा 11 बीघा भूमि में खातेदार नारूलाल पिता तेजा के बजाय नारायणलाल उर्फ नारूलाल पिता तेजा डांगी संशोधन किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.01.08 17:44:31 IST
Reason: SelfAttested